न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 340 /2022

उनवान

1– ओम प्रकाश पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
2– देबीलाल पुत्र मांगीलाल गुर्जर निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
3– मगना पुत्र मांगीलाल गुर्जर निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– भैरू पिता उगमा जाट निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
2–3 रामलाल, शंकर पिता धूकल गुर्जर निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
4–रामलक्ष्मण पिता गोकल शर्मा निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
5– रतन पिता माधू जाट निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
6– रामस्वरूप हीरा जाट निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
7– शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा एस.के. प्लाजा भीलवाड़ा
8– शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढीकोला
9– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी– अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री आशीष पालीवाल– अधिवक्ता विपक्षी सं0 7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12.04.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **करमड़ास पटवार हल्का करमड़ास** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 602 रकबा 1.43 है0, 605 रकबा 0.34 है0** कुल किता **2** रकबा **1.77** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि के विपक्षीगण निकटतम पड़ौसी विपक्षी सं0 01 के पिता मृतक खातेदार उगमा पुत्र नारायण जाअ निवासी करमड़ास की कृषि भूमि स्थित है। खातेदार मृतक उगमा की मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनके वारिसान ने अभी तक रेकार्ड में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खुलवाया है। इसलिए वर्तमान जमाबंदी में भी अभी तक उगमा पुत्र नारायण जाट का नाम ही दर्ज रेकार्ड चला आ रहा है। जबकि मौके पर उगमा के पुत्र विपक्षी सं0 1 काबिज काश्त होने से पक्षकार बनाया गया है और प्रार्थीगण से सीमा विवाद भी सबसे अधिक विपक्षी सं0 01 ही कर रहा है। जानबूझकर प्रार्थीगणों के साथ खेतों की सीमाओं को लेकर आये दिन मौके पर झगड़ा करता है। इस कारण प्रार्थीगणों को पत्थरगढी कराने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर अपनी कृषि भूमि पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात पर कई वर्षो से काबिज काश्त होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है, फिर भी विपक्षीगण 1 लगायत 6 ने मौके पर सीमा संबंधी विवाद किया इस कारण प्रार्थीगणों को पत्थरगढी कराने की आवश्यकता हुई है। विपक्षीगण सं0 07 व 08 के यहां भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया गया है तथा विपक्षी सं0 09 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के कानूनी रूप से अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि ग्राम **करमड़ास पटवार हल्का करमड़ास** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 602 रकबा 1.43 है0, 605 रकबा 0.34 है0** कुल किता **2** रकबा **1.77** हैक्टेयर की चारों सीमाओं की निशादेही कर मुस्तकिल निशानात/पत्थर लगवाये जाने का आदेश प्रार्थीगणों को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान कराये जाने का प्रदान करावें, जिसकी पालना विपक्षी सं0 09 से करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 21.09.2022 को **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6, 8, 9** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने हुए। विपक्षीगण सं0 07 की ओर से अभिभाषक श्री गौरव पालीवाल द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण जवाब विपक्षी सं0 07 के नियत किया गया। दिनांक 04.04.2023 को विपक्षीगण सं0 1 लगायत 6, 8, 9 बावजदू सूचना के उपस्थित होने से से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई गयी। विपक्षी सं0 7 कह ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस हेतु निवेदन किये जाने से बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि ग्राम **करमड़ास पटवार हल्का करमड़ास** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 602 रकबा 1.43 है0, 605 रकबा 0.34 है0** कुल किता **2** रकबा **1.77** हैक्टेयर के विपक्षीगण पड़ौसी खातेदार होकर प्रार्थीगण के साथ आये दिन सीमा विवाद करते रहते है जिससे पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का अधिकारी प्रार्थीगण को है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी कराये जाने का आदेश बक्षावें। अभिभाषक विपक्षी सं0 7 द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित आराजियात में से प्रार्थी सं0 02 ने अपना हिस्सा विपक्षी सं0 7 के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है जिसका आज दिनांक तक मूल राशि एवं ब्याज राशि बकाया है। एवं

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपरोक्त ऋण चुकाकर भूमि को रहनमुक्त करवाये बिना खातेदार किसी भी प्रकार की पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकारी नहीं है। इस कथन के खण्डन में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण केवल अपने खातेदारी भूमि की सीमाओं के ज्ञान हेतु पत्थरगढी करवा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा ना ही भूमि का विक्रय किया जा रहा है ना ही बंटवाड़ा करवाया जा रहा है। केवल मात्र पत्थरगढी करवाई जा रही है जिससे बैंक रहन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहस पर मनन एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी ग्राम करमड़ास पटवार हल्का करमड़ास संवत 2074 से 2077 अनुसार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। अतः खातेदार अपनी खातेदार भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकार रखता है। केवल मात्र पत्थगढी करवाये जाने से बैंक रहन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **करमड़ास** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **2** रकबा **1.77 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 700/- रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12.04.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा